

पुष्पक,

प्रक्रियेत सम्पन्न मुद्रण,
प्रमु सचिव,
इस्वीर प्रदेश शासन।

श्रीमान्,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
बिल्डिंग नम्बर-2 तारुवापु केन्द्रीय
प्रोविन्स विहार, नई दिल्ली।

महोदय: दिनांक: 01 मार्च, 2001

शिक्षा 171 अनुभाग

विषय-

विशेषीयत प्रक्रियेत सम्पन्न मुद्रण शीतल को तीरुवापु केन्द्रीय नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनुवर्तित प्रमाण पत्र दिव्य।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कष्ट है कि विशेषीयत प्रक्रियेत सम्पन्न मुद्रण शीतल को तीरुवापु केन्द्रीय नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनुवर्तित प्रमाण पत्र दिव्य जाने में हम राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अधीन अनुवर्तित नहीं है :-

- 111 विद्यालय को प्रोत्साहित शीतलपत्रों का माध्य-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय को प्रोत्साहित में शिक्षा विभाग द्वारा नार्मल एंड सटलप होना।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुवर्तित शक्ति/अनुवर्तित जनता के सदस्यों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनमें 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुवर्तित विद्यार्थियों में विभिन्न वर्गों के लिये अनुवर्तित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की राशि नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा केन्द्रिय शिक्षा परिषद से माध्यमता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परीक्षाओं की सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त माध्यमता का राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्थान: समर्थित हो जायेगा।
- 151 संस्था शिक्षा एवं विद्यार्थी अनुवर्तित शीतलपत्रों को राष्ट्रीय माध्यमता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुवर्तित वेतनमानों का अनुवर्तित माली से कम वेतनमान तथा अनुवर्तित नहीं दिव्य जायेगा।
- 161 कर्मचारियों को वेत नहीं अनुवर्तित जायेगा और उन्हें सटलप प्राप्त शीतल-शेष अनुवर्तित विद्यार्थियों के कर्मचारियों के अनुवर्तित वेतनपत्रों का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

- 178 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे। संस्था उनका पालन करेगी।
- 188 विद्यार्थियों का रिश्ता निर्धारित पुस्तक/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उन शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

3- उक्त पूर्वानुमोदनों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त पूर्वानुमोदनों का पालन नहीं किया जा रहा है तब संस्था पालन करने में किसी भी प्रकार की वृद्ध या माधुर्यता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदित पुस्तक पर आपत्त के किया जायेगा।

भारतीय,

अधिकृत पत्र संस्था
अनु संस्था

पूर्वोक्त-843/15-7-2000. तद दिनांक

- 1- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
- 2- शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड, नवलपरासी
- 3- तत्सम शिक्षा निदेशक, पुष्प संघ, मेरठ।
- 4- शिक्षा विद्यार्थी निदेशक, मेरठ।
- 5- माँग भारतीय विद्यार्थी, उ०००, नवलपरासी
- 6- प्रमुख, विशेषज्ञ पत्रिका संस्था, काँग्रेस पार्टी, मेरठ।

आज्ञा है,

अधिकृत पत्र संस्था
अनु संस्था